भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1320

14 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

मौजूदा पीडीएस में और अधिक वस्तुओं को सम्मिलित करना

1320. श्री राजन बाबूराव विचारे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के समान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए आर्थिक मानदंडों पर निवल कवरेज बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को वैश्विक मानक तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और अधिक वस्तुओं को शामिल करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों के अनुसार शासित होता है। इस अधिनियम में टीपीडीएस के तहत उच्च सब्सिडी वाले खाद्यान्नों को प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र की लगभग 76.32% ग्रामीण और 45.34% शहरी जनसंख्या के कवरेज का प्रावधान है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 700.17 लाख व्यक्ति होता है। इस अधिनियम के तहत कवरेज को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ख): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ): इस अधिनियम के तहत, "खाद्यान्नों" शब्द को चावल, गेहूँ अथवा मोटे अनाजों अथवा उनके किसी संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो ऐसे गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप हो, जिसे समय-समय पर केन्द्र सरकार के आदेश द्वारा निर्धारित किए जाएं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत और अधिक वस्तुओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

*****